न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

| ...ख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज<br><br>टुण्डा बनाम सरकार<br>मु0नं0 24/2025 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.08.25 | आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी गुलाबचन्द वगै0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 (2) जा0दी0 के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी प्रकरण टुण्डा बनाम राज0 सरकार वगै0 मु0नं0 191/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 के विरूद्ध अप्रार्थी अपीलीय न्यायालय में अपील पेश करना चाहते है। प्रार्थी को अपील करने हेतु एक माह का समय दिया जावे तब तक उक्त आदेश की क्रियान्वती स्थगित रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।<br>वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 (2) जा0दी0 का जबाव प्रस्तुत नही करते हुये सीधे ही बहस करना चाहा। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी।<br>हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उनवानी प्रकरण टुण्डा बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 को किया था। उक्त निर्णय की अपीलीय अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 (2) जा0दी0 का अब कोई औचित्य नही रह गया है इसलिये खारिज किया जाना उचित है।<br>अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 (2) जा0दी0 की अपीलीय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार महवा को उनवानी प्रकरण टुण्डा बनाम राज0 सरकार मु0नं0 191/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 की पांलना हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>महवा जिला दौसा | |

Scanned with OKEN Scanner